

वित्त लेखे

2012—13

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

विषय	खण्ड-I	पृष्ठ
■ विषय सूची		i-ii
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र		iii-v
■ विँा लेखे की मार्गदर्शिका		vii-xi
1. विँीय स्थिति का विवरण		1-2
2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण		3-4
3. समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण		5-7
4. समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का विवरण		8-13
○ कार्य और प्रकृति के अनुसार		
■ लेखों पर टिप्पणियां		14-25
■ परिशिष्ट-I : रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश		28-30
खण्ड-II		
भाग-I : संक्षिप्त विवरण पत्रक		
5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण		33-38
6. उधार तथा अन्य देयताओं का विवरण		39-42
7. सरकार द्वारा दिये गए कर्जे और पेशगियों का विवरण		43-44
8. सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण		45
9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण		46-50
10. दँामत और प्रभारित व्यय का विवरण		51
भाग-II : विस्तृत विवरण पत्रक		
11. राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण		53-91
12. राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार ब्यौरेवार विवरण		92-135
13. पूँजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण		136-267
14. सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण		268-299
15. उधार तथा अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण		300-312
16. सरकार द्वारा दिये गए कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण		313-342
17. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का ब्यौरेवार विवरण		343-347
18. आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण		348-357
19. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण		358-360

विषय-सूची – समाप्त

विषय	पृष्ठ
भाग-III : परिशिष्ट	
II. वेतन पर तुलनात्मक व्यय	362-369
III. राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	370-371
IV. सहायता-अनुदान ¼योजनावार और संस्थावार½	372-382
V. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	383-388
VI-अ. आयोजनागत योजना व्यय	389-392
VI-ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं	393
VII. केन्द्रीय योजना निधियों का षयान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण	394-395
VIII. शेषों का सारांश	396-398
IX. सिंचाई निर्माण कार्यों के वियीय परिणाम	399
X. दिनांक 31 मार्च 2013 को अपूर्ण लोक निर्माण कार्य संविदाओं की वचनबद्धता का विवरण	400
XI. राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निराकृत न होने वाले शेषों के आवंटन से संबंधित मदों का विवरण	401-402
XII. राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण	403-413
XIII. आगामी नगद प्रवाह के लिये वर्ष के दौरान बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णयों का विवरण	414-416

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाऊचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 7, 9, 14 एवं 16), और परिशिष्ट (V, IX एवं X) को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2012-13 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

विं लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन


1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I :-समेकित निधि: राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के समस्त व्यय एवं प्राप्तियां, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

भाग-II : आकस्मिकता निधि: विधायिका द्वारा विधि के अंतर्गत स्थापित आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है। यह निधि राज्य की विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को समेकित निधि में संबंधित क्रियात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है।

भाग-III : लोक लेखा: राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके लिये प्राप्त अन्य सभी लोक धन लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। इस लेखे से किया गया व्यय विधान सभा द्वारा मतदेय नहीं होता है। इस लेखे में प्राप्तियों के संदर्भ में सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है। ऋण (भाग-I के लोक ऋण के अतिरिक्त), जमा, पेशगियां, आरक्षित निधियां, उचंत एवं प्रेषण संबंधी लेन-देन लोक लेखे के भाग हैं।

क.1.1 सरकारी लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन



2. भाग, अनुभाग, क्षेत्र इत्यादि

समेकित निधि में लेखाओं के मुख्य दो भाग हैं, जैसे पूर्व पृष्ठ पर 0-1.1 में प्रदर्शित किए गए हैं। 'राजस्व तथा पूंजीगत, लोक ऋण, कर्ज इत्यादि जो समेकित निधि के प्राप्ति तथा व्यय के अनुभागों में विभाजित किए गये हैं। व्यय पक्ष की ओर किए गए लेन-देन क्षेत्र (सेक्टर) में समूहीकृत किए गए हैं यथा, "सामान्य सेवाएं," सामाजिक सेवाएं, "आर्थिक सेवायें" जिसके अंतर्गत विशेष कार्य तथा सेवायें समूहीकृत किये जायेंगे। क्षेत्र (सेक्टर), उपक्षेत्र (सबसेक्टर)/लेखाओं के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप विभाजित किए गए हैं। मुख्य शीर्ष षोयाकलापों के अनुरूप होते हैं और आगे उप मुख्य शीर्षों (उप षोया कलापों) एवं लघु शीर्षों (कार्यश्रमों) में विभाजित किये जाते हैं जो विषय लेखे के खण्ड-II में दर्शित हैं। लेखों के लघु शीर्ष के नीचे वर्गीकरण यथा, उपशीर्ष (योजना) तथा विस्तृत तथा उद्देश्य शीर्ष (व्यय का उद्देश्य) वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर) यद्यपि कुछ विवरण परिशिष्टों में सम्मिलित किए गए हैं –

(ख) विवरण पत्रकों में क्या निहित है

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है। खण्ड-I में सामान्य रूप से समझने योग्य संक्षिप्त पत्रकों में सरकार के वित्तीय विवरण हैं, जबकि इनके विस्तृत विवरण खण्ड-II में दिए गए हैं।

खण्ड-I भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र सहित चार संक्षिप्त विवरण पत्रक जैसा नीचे वर्णित है एवं लेखांकन नीतियों को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी समावेशित हैं।

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण** : सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े जो कि वर्षान्त में थे, विवरण में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये परिसम्पत्तियां, प्रगामी पूंजीगत व्यय सहित विस्तृत परिसम्पत्तियां हैं, जो सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियां प्रदर्शित करती हैं। परिसम्पत्तियां, लेखांकन नीतियों के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्यों पर प्रदर्शित की जाती हैं।
2. **प्राप्तियाँ तथा संवितरणों का विवरण** : यह संक्षिप्त विवरण है जो तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान सरकार की समस्त प्राप्तियों और व्यय को प्रदर्शित करती हैं। आगे समेकित निधि में राजस्व और पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियों और व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

सरकार के राजकोषीय मानकों यथा प्राथमिक, राजस्व और राजकोषीय घाटा राज्य सरकार के समेकित निधि के परिचालन पर परिगणित किए जाते हैं। इसलिए निम्न दो विवरणों में समेकित निधि का परिचालन संक्षिप्त रूप में दिया जाता है।

3. **समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण** : इस विवरण में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा ऋण के रूप में भारत सरकार से, अन्य संस्थाओं से, बाजार से लिए गए ऋण तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूलियों की प्राप्तियों का समावेश है।
4. **समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का विवरण** : यह विवरण न केवल षोयात्मक रूप से व्यय के विवरण देता है अपितु कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) के अनुसार व्यय को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करता है।

इस भाग में इसके अतिरिक्त, रोकड़ शेषों तथा रोकड़ शेषों के निवेश का विवरण देने वाला एक परिशिष्ट, परिशिष्ट-I भी सम्मिलित है।

खण्ड-II- तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में निम्नानुसार छः विवरण पत्रक हैं।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** इस विवरण में क्रियात्मक रूप से विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय दर्शित है, जिसका योग विवरण संख्या-1 में दिया गया है।
6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण :** सरकार द्वारा लिए उधार में, सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण), भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। यह दोनों सम्मिलित रूप से सरकार के लोक ऋण हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण अन्य दायित्वों को दर्शाता है जो कि लोक लेखे के विभिन्न प्रक्षेत्रों के शेष है। पश्चात्वर्ती के संबंध में सरकार निधियों के न्यासी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है, इसलिए यह सरकारी दायित्व निर्मित करता है। इस विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टीप यथा राजस्व प्राप्तियों से प्रतिपूरित निवल ब्याज की मात्रा पर टीप निहित है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विवरण :** राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम विवरण संख्या-1 में दिए गए हैं तथा प्राप्तियाँ और संवितरण विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शित हैं। यहाँ प्रक्षेत्र तथा ऋणी समूहवार ऋण एवं अग्रिमों का संक्षिप्तीकरण किया गया है। इसके नीचे ऋणों की बकाया कटौतियों के संबंध में विवरण दिया जाता है, जिसके विस्तृत ब्यौरे महालेखाकार कार्यालय व राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किए जाते हैं।
8. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण :** अनुदान ग्रहीता संस्थान समूहवार संघटित किया गया है। इसमें सामग्री के रूप में दिया गया सहायता अनुदान तथा पूंजीगत परिसम्पत्ति प्रकृति की वस्तु के रूप में सहायता अनुदान का भी विवरण सम्मिलित रहता है।
9. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण :** वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा उद्भूत ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी तथा वर्ष की परिसमाप्ति पर लंबित गारंटी राशियों को इस पत्रक में दर्शाया जाता है।
10. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय को प्रस्तुत करता है।

भाग-II - खण्ड-II इस भाग में खण्ड-I एवं खण्ड-II के भाग-I के विवरण पत्रकों के तदनुरूपी 9 विवरण पत्रक हैं, जो लघुशीर्षवार विस्तृत लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं।

11. **राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों को विस्तार से प्रदर्शित करता है।
12. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण विस्तार से सरकार के राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। आयोजना एवं आयोजनेत्तर आंकड़े पृथक से दर्शाए जाते हैं तथा पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलना उपलब्ध रहती है।

- 13. पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण सरकार के पूंजीगत व्यय के विवरणों को विस्तार से प्रदर्शित करता है। आयोजना एवं आयोजनेत्तर आंकड़े को पृथक से दर्शाया जाता है तथा पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलना उपलब्ध रहती है। वर्षान्त तक संचयी पूंजीगत व्यय को भी दिखाया जाता है।
- 14. सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण :** इस विवरण में वर्तमान तथा पूर्व वर्ष में विभिन्न प्रतिष्ठानों में अंशपूंजी तथा ऋणपत्र में शासकीय निवेश की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। विवरण में अंश (शेयर) के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
- 15. उधार तथा अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण :** लघुशीर्ष स्तर तक उधारों के विवरण (सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण तथा भारत सरकार से कर्जे आदि) उनकी परिपक्वता, सभी ऋणों के पुनर्भुगतान की रूपरेखा इस विवरण पत्रक में प्रस्तुत की गई है। यह खण्ड-II के भाग-I के विवरण 6 के अनुरूप विस्तृत विवरण है।
- 16. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण :** सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों के ब्यौरे, कर्ज के शेषों में परिवर्तन, अपलिखित कर्जे, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि के विस्तृत विवरण इस पत्रक में दर्शाए जाते हैं। यह आयोजना कर्जों को भी पृथक से दर्शित करता है। यह खण्ड-II भाग-I के विवरण संख्या 7 के अनुरूप विस्तृत विवरण है।
- 17. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुपयोग का ब्यौरेवार विवरण :** पूंजीगत एवं अन्य व्यय, (राजस्व लेखे के अतिरिक्त एवं व्यय के लिए निधियों के स्रोत) इस विवरण पत्रक में दिखाये जाते हैं।
- 18. आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि में वर्ष के दौरान परिवर्तनों, निधि को विनियोजन, व्यय, प्रतिपूरित राशि इत्यादि को दर्शाता है। यह लोक लेखा में लेन-देनों का विस्तृत विवरण भी दर्शाता है।
- 19. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण पत्रक लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधियों से किए गए निवेश को दर्शाता है।

खण्ड-II के भाग-III में वेतन, राज सहायता, संस्थावार एवं योजनावार सहायता-अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के विस्तृत विवरण, वृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का विनियान संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, दिनांक 31 मार्च 2013 को अपूर्ण लोक निर्माण कार्य संविदाओं की वचनबद्धता का विवरण, राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निराकृत न होने वाले शेषों के आवंटन से संबंधित मदों का विवरण, राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण एवं आगामी नगद प्रवाह के लिये वर्ष के दौरान बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णयों के विवरण पर परिशिष्ट समावेशित हैं। लेखे में ये विवरण उप शीर्ष या उसके नीचे के स्तर (लघुशीर्ष स्तर के नीचे के) के होते हैं और जो वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। ब्यौरेवार सूची के लिये कृपया खण्ड-I या II में अनुक्रमणिका देखें। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की प्रचलित वित्तीय स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ग—त्वरित गणना पत्रक

विवरणों के निहितार्थ त्वरित संदर्भ हेतु नीचे दी गई तालिका (सारणी) को देखें। महत्वपूर्ण मानदण्डों के संदर्भ में संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण नीचे दर्शाये गए हैं। नीचे दिखाये गए परिशिष्टों की संख्या पूर्ण नहीं है।

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड—I एवं—II)	विस्तृत विवरण खण्ड—II	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त सहायता सहित)	2, 3	11	—
राजस्व व्यय	2, 4	12	II(वेतन), III(राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2	8	IV
पूंजी प्राप्ति	2, 3	11	—
पूंजी व्यय	1, 2, 4, 5	13, 17	—
सरकार द्वारा दिए गये कर्जे और पेशगिरियाँ	1, 2, 7	16, 17	—
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 6	15, 17	—
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	1	14	—
रोकड़	1, 2	—	I, VIII
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2	17, 18, 19	VIII
गारंटी	—	9	—
योजनाएं	—	—	V (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), VI, VII

घ— आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन

कुछ निश्चित लेन—देन पुस्तकीय समायोजन प्रकृति के हैं तथा वास्तविक नकद लेन—देन को प्रस्तुत नहीं करते जैसा नीचे उल्लेख किया गया है। विशिष्ट विवरण 'लेखों पर टिप्पणी' तथा पाद टिप्पणी के रूप में संबंधित विवरण पत्रकों में उल्लिखित किये गए हैं।

(i) वेतन से समस्त कटौतियों के समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) पुस्तकीय समायोजन द्वारा क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभागों) को नामे कर राजस्व प्राप्तियों (उदाहरणार्थ सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त कटौतियों/लोक लेखा (उदाहरणार्थ सा.भ.नि.) में करना।

(ii) yksd ys[kk ds varxZr ;Fkk jkT; vkink foekspu fuf/k] vkj{kr fuf/k;ka] 'kks/ku fuf/k bR;kfn fuf/k;ksa dk l'tu@fuf/k;ksa dks va'knku dk lek;kstu lesfdr fuf/k dks ukes dj djuka

(iii) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना।

(iv) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन, जहा; राज्य सरकार की सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन 2049—ब्याज को नामे एवं 8009—सामान्य भविष्य निधि को जमा कर किया जाता है।

(v) कुछ निश्चित प्रकार के समायोजन जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार की ब्याज माफी योजना। इसका प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण दोनों पर पड़ता है, जहाँ केन्द्रीय ऋण 0075—विविध सामान्य सेवा को जमा कर 6004—केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियाँ को प्रति प्रविष्टि द्वारा अपलिखित किये जाते हैं।

1: वित्तीय स्थिति का विवरण

¼रं djksM+ esa½

परिसम्पत्तियाँ ¹	संदर्भ ¼अनुक्रमांक½		31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण संख्या		
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	परिशिष्ट-I	--	2.61
(ii) विभागीय शेष	--	18	1,32,24	2.48
(iii) स्थाई अग्रदाय	--	18	0.81	0.81
(iv) नकद शेष निवेश	--	18	68,06.45	66,80.13
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा ¼;fn 'ks"k tek gks rks _kkRed fpà ds lkFk ;gk; 'kkfey gks½	--	परिशिष्ट-I	(-) 2,62.75 ²	6,92.55 ²
(vi) fpfàr fuf/k;ksa ls fuos'k ³	--	19	3,98.06	3,97.30
पूंजीगत व्यय				
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	--	14	1,46,56.50	1,31,83.59
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	--	5	7,37,96.16	6,37,33.62
आकस्मिकता निधि ¼अनापूरित½	--	--	--	--
कर्ज तथा पेशगियाँ	--	16	2,70,88.10	2,17,42.39
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	--	18	12.49	11.00
उचंत तथा विविध शेष⁴	--	--	--	--
प्रेषण शेष	--	--	--	--
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य⁵	--	--	--	--
योग			12,26,28.06	10,64,46.48

¹ परिसम्पत्तियाँ तथा देयताओं की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं कृपया टिप्पणी 1(ii) 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत भी देखें।

² पृष्ठ 28 पर पाद टिप्पणी (ख) एवं (ग) देखें (परिशिष्ट-I)

³ कंपनियों इत्यादि के शेयरों में उद्दिष्ट निधियों में से किये गए निवेश पूंजीगत व्यय में से हटाए गए हैं तथा 'उद्दिष्ट निधियों से निवेशों' में शामिल किये गए हैं।

⁴ इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई अग्रिम' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन लेखों में अन्यत्र इन्हें इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

⁵ प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

विवरण संख्या 1 – समाप्त

¼ ₹ djksM+ esa½

देयताएं	संदर्भ ¼ अनुक्रमांक½		31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण संख्या		
उधार ¼ लोक ऋण½				
(i) आंतरिक ऋण	--	6	5,43,09.33	5,00,11.01
(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			1,22,67.81	1,13,58.91
योजनेत्तर कर्ज	--	6	50.17	53.87
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	--	6	1,22,15.76	1,13,03.16
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	--	6	--	--
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	--	6	--	--
अन्य कर्ज	--	6	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (निकाय)	21	18	2,00.00	2,00.00
लोक लेखा से संबंधित देयताएं			2,51,57.72	2,16,30.38
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	--	15	1,07,52.33	99,16.31
(ii) जमा	--	18	76,49.77	73,00.27
(iii) आरक्षित निधियाँ	--	19	55,87.16	35,67.37
(iv) प्रेषण शेष	--	18	10,80.65	6,80.38
(v) उचंत तथा विविध शेष	--	18	87.81	1,66.05
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य			3,06,93.20 ^{@#}	2,32,46.18 ^{@#}
योग			12,26,28.06	10,64,46.48

@ सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

मुख्यशीर्ष 4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियां, लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 17 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2: प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

प्राप्तियाँ		संवितरण			
	2012-13	2011-12		2012-13	2011-12
भाग- I समेकित निधि					
अनुभाग- अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	7,04,27.28	6,26,04.07	राजस्व व्यय	6,29,68.53	5,26,93.71
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	3,05,81.70	2,69,73.44	वेतन ¹	1,49,94.85	1,31,34.63
करेतर राजस्व			राजसहायता ¹	56,97.41	29,26.27
			सहायता अनुदान ²	1,44,70.52 ³	1,31,20.07 ³
ब्याज प्राप्तियाँ	3,01.47	15,71.41	सामान्य सेवाएं		
अन्य	66,98.75	59,11.32	ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	55,73.74	52,99.77
योग	70,00.22	74,82.73	पेंशन	49,46.79	43,88.91
संघ करों/भुक्तों का भाग	2,08,05.16	1,82,19.13	अन्य	28,24.07	29,69.59
			योग	1,33,44.60	1,26,58.27
			सामाजिक सेवाएं	57,86.26	43,59.51
			आर्थिक सेवाएं	46,10.32	32,91.74
केन्द्र सरकार से अनुदान	1,20,40.20	99,28.77	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषन	40,64.57	32,03.22
राजस्व घाटा	--	--	राजस्व आधिक्य	74,58.75	99,10.36
अनुभाग- ब : पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियाँ	31.45	22.65	पूंजीगत परिव्यय	1,15,66.89 ^{4,5}	90,55.16 ⁵
			वेतन ¹	--	--
			सामान्य सेवाएं	2,04.89	1,67.16
			सामाजिक सेवाएं	16,20.99	15,99.11
			आर्थिक सेवाएं	97,41.01	72,88.89
कर्ज तथा पेशगिरियों की वसूलियाँ	32.53	91,22.56	कर्ज तथा पेशगिरियाँ संवितरित	53,78.25	1,57,60.56
			सामान्य सेवाएं	44.68	2.00
			सामाजिक सेवाएं	1,29.88	1,39.84
			आर्थिक सेवाएं	52,03.68	1,56,18.68
			अन्य	0.01	0.04
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	87,91.16	67,50.25	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	35,83.94	31,49.79
आंतरिक ऋण ⁶ (बाजार कर्ज इत्यादि)	72,33.85 ^(क)	57,17.65 ^(ख)	आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि)	29,35.53 ^(ग)	25,20.28 ^(घ)

- वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, सभी क्षेत्रों की एकत्रित की गई हैं। इस विवरण पत्रक में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के व्यय के अंतर्गत वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान ¼पाद टिप्पणी-2 में वर्गीकृत ½ को शामिल नहीं किया गया है।
- सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को दी गई सहायता अनुदान शामिल है। ये अनुदान स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषन से भिन्न है।
- मुख्यशीर्ष 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन को छोड़कर लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197, 198 तथा उद्देश्य शीर्ष 42 सहायता अनुदान का योग सम्मिलित है।
- 'आर्थिक सेवाएं' में ₹ 2,07.45 करोड़ सम्मिलित हैं जबकि 'सामान्य सेवाएं' तथा 'सामाजिक सेवाएं' में वेतन राशि निरक है। ₹ 0.43 करोड़ यहां सम्मिलित नहीं किए गए हैं ये कर्ज क्षेत्र में मु.शी.6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज से संबंधित हैं जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।
- सहायक अनुदान की राशि ₹ 1,00.83 करोड़ तथा ₹ 81.30 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सम्मिलित है तथापि पूंजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत सहायक अनुदान का प्रावधान न करने हेतु राज्य शासन को लिखा गया है।
- आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF) से संबंधित प्राप्तियां (क) ₹ 14,39.24 करोड़ (ख) ₹ 4,41.03 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 7,14.26 करोड़ (घ) ₹ 6,08.21 करोड़ सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 2 – समाप्त

¼र djksM+ esa½

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2012-13	2011-12		2012-13	2011-12
भारत सरकार से कर्ज	15,57.31	10,32.60	भारत सरकार से कर्ज	6,48.41	6,29.51
अन्तर्राज्यीय परिषोधन	9.14	2.65	अन्तर्राज्यीय परिषोधन	7.02	3.70
--	--	--	आकस्मिक निधि को स्थानान्तरण	--	1,00.00
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि	7,92,91.56	7,85,02.18	कुल व्यय समेकित निधि	8,35,04.63	8,07,62.92
समेकित निधि में घाटा	42,13.07	22,60.74	समेकित निधि में आधिक्य	--	--
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	--	1,00.00	आकस्मिकता निधि	--	--
भाग-III लोक लेखा⁷					
लघु बचतें	23,19.03	20,33.07	लघु बचतें	14,81.96	13,35.10
आरक्षित एवं शोधन निधि	24,41.51	15,34.95	आरक्षित एवं शोधन निधि	4,22.48	3,61.38
जमा	60,26.76	94,03.63	जमा	56,77.26	86,21.86
अग्रिम	4,74.71	4,67.97	अग्रिम	4,76.19	4,66.12
उचंत एवं विविध	22,59,09.53	24,16,95.75	उचंत एवं विविध ⁸	22,62,58.75	23,91,80.73
प्रेषण	1,51,67.15	1,22,56.15	प्रेषण	1,47,66.89	1,18,65.16
योग लोक लेखा प्राप्तियाँ	25,23,38.69	26,73,91.52	योग लोक लेखा संवितरण	24,90,83.53	26,18,30.35
लोक लेखा में घाटा	--	--	लोक लेखा में आधिक्य	32,55.16	55,61.17
प्रारंभिक रोकड़ शेष	6,95.16	(-) 27,05.25 ⁹	अंतिम रोकड़ शेष	(-) 2,62.75	6,95.16
रोकड़ शेष में वृद्धि	--	34,00.43	रोकड़ शेष में कमी	9,57.91	--

⁷ विवरण हेतु कृपया खंड-II का विवरण संख्या-18 देखें।

⁸ 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा ¼eq[; 'kh"KZ 8673½ bR;kfn lF Eefyr gSaA bu vU; ys[kkvksa esa vkadM+s cM+s ifjyf{kr gksrs gSaA d'i;k foLr`r foj.k] foj.k la;k 18 esa ns[ksaA

⁹ योग और मिलान बराबर करने के लिए राशि ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई है।

3: समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण

¼ ₹ करोड़ में^{1/2}

	विवरण	वास्तविक	
		2012-13	2011-12
I-	कर एवं करेतर राजस्व		
क	कर राजस्व		
क.1	स्वयं का कर राजस्व	3,05,81.70	2,69,73.44
	भू-राजस्व	4,43.59	2,79.05
	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	39,44.24	32,84.41
	राज्य उत्पाद शुल्क	50,78.06	43,16.49
	विक्रय कर	1,48,56.29	1,25,16.73
	माल तथा यात्रीकर	23,95.03	20,47.46
	वाहन कर	15,31.25	13,57.12
	अन्य	23,33.24	31,72.18
क.2	करों के शुद्ध आगम का भाग	2,08,05.16	1,82,19.13
	निगम कर	74,73.42	71,71.28
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	44,74.21	36,42.69
	धन कर	12.62	27.68
	सीमा शुल्क	34,57.34	31,58.90
	संघ उत्पाद शुल्क	23,49.62	20,44.11
	सेवा कर	30,37.95	21,74.48
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	-0.01 ^(क)
	योग- क	5,13,86.86	4,51,92.57
ख	करेतर राजस्व		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	24,43.39	20,38.31
	ब्याज प्राप्तियाँ	3,01.47	15,71.41
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	16,82.50	15,51.15
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	9,10.38	8,78.81
	बिजली	3,70.69	4,55.95
	मध्यम सिंचाई	80.51	1,61.98
	विविध सामान्य सेवाएं	30.40	1,45.44
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,39.15	1,06.05
	वृहद् सिंचाई	57.22	1,01.18
	पुलिस	83.59	63.19
	लोक निर्माण कार्य	33.22	47.92
	लघु सिंचाई	3,79.62	41.31
	लाभांश तथा लाभ	18.38	37.99
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	44.83	30.16
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	18.94	29.65
	अन्य सामाजिक सेवाएं	32.07	29.58
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	29.77	27.44
	फसल कृषि-कर्म	25.53	20.52
	उद्योग	24.08	19.20

(क) कृपया पृष्ठ क्रमांक 57 (खंड-II, विवरण संख्या 11) पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 3 –जारी

¼रं करोड़ में½

ख	विवरण	वास्तविक	
		2012–13	2011–12
	करेतर राजस्व		
	शहरी विकास	41.61	15.43
	आवास	16.33	15.43
	श्रम तथा रोजगार	16.37	14.32
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13.91	13.83
	जलपूर्ति तथा सफाई	11.09	11.98
	सहकारिता	13.02	11.65
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	45.76	9.45
	सड़क तथा सेतु	5.98	7.44
	मछली पालन	3.25	5.05
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2.14	4.54
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9.78	4.22
	पशुपालन	2.46	3.67
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.59	3.25
	जेल	3.67	2.90
	लोक सेवा आयोग	5.80	1.84
	सूचना तथा प्रचार	0.21	0.38
	परिवार कल्याण	0.23	0.09
	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	0.27	0.01
	पेट्रोलियम	0.01	0.01
	योग- ख	70,00.22	74,82.73
II	भारत सरकार से अनुदान		
ग	अनुदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	योजनेतर अनुदान	3,32.93	21,13.47
	संविधान के अनुच्छेद 275¼1½ ds ijUrqd ds varxZr vuqнку	2,72.84	20,83.74
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	--	--
	अन्य अनुदान	60.09	29.73
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	70,99.43	42,15.28
	एक मुफ्त ¼ब्लॉक½ अनुदान ¼जिसमें से ई ए पी½	41,53.77	34,57.69
	संविधान के अनुच्छेद 275¼1½ ds ijUrqd ds varxZr vuqнку	88.94	33.43
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में अनुदान	3,24.76	--
	अन्य अनुदान	25,31.96	7,24.16
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	4,99.99	3,64.20
	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	41,07.85	32,35.82
	योग- ग	1,20,40.20	99,28.77
	योग- राजस्व प्राप्तियाँ ¼क \$ ख \$ ग½	7,04,27.28	6,26,04.07

विवरण संख्या 3 –समाप्त

III पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2012-13	2011-12
घ	पूंजीगत प्राप्तियाँ		
	विनिवेश आगम	21.45	22.65
	अन्य	10.00	--
	योग-घ	31.45	22.65
ङ	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	72,33.85	57,17.65
	बाजार कर्ज	45,00.00	40,00.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	12,94.61	12,76.62
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	14,39.24	4,41.03
	अन्य कर्ज	--	--
	केन्द्र सरकार से कर्ज और पेशगियाँ	15,57.31	10,32.60
	योजनेतर कर्ज	--	--
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	15,57.31	10,32.60
	योग- ङ	87,91.16	67,50.25
च	राज्य सरकार द्वारा दिये गए कर्ज और पेशगियाँ $\frac{1}{4}$ क $\frac{1}{2}$ ¹	32.53	91,22.56
छ	अन्तर्राज्यीय परिषोधन	9.14	2.65
	योग- समेकित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ $\frac{1}{4}$ क $\frac{1}{2}$ \$ ख \$ ग \$ घ \$ ङ \$ च \$ N $\frac{1}{2}$	7,92,91.56	7,85,02.18

¹ विस्तृत विवरण, विवरण संख्या-7 तथा 16 में खण्ड-II में दिये गए हैं।

4: समेकित निधि के अंतर्गत व्यय का विवरण

क. कार्य आधारित व्यय :-

¼र djksM+
esa½

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियाँ	योग
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग	6,62.34	--	--	6,62.34
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	48.33	--	--	48.33
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	6.73	--	--	6.73
	मंत्रिपरिषद	70.17	--	--	70.17
	न्याय प्रशासन	4,49.20	--	--	4,49.20
	निर्वाचन	87.91	--	--	87.91
क.2	राजकोषीय सेवाएं	23,84.54	--	--	23,84.54
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.32	--	--	0.32
	भू-राजस्व	3,78.69	--	--	3,78.69
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	3,44.09	--	--	3,44.09
	संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	--	--	--	--
	राज्य उत्पाद शुल्क	11,88.87	--	--	11,88.87
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,29.32	--	--	1,29.32
	वाहन कर	49.80	--	--	49.80
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2,91.58	--	--	2,91.58
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.87	--	--	1.87
	ब्याज अदायगियाँ	55,73.74	--	--	55,73.74
क.3	प्रशासनिक सेवाएं	41,25.09	2,04.89	--	43,29.98
	लोक सेवा आयोग	14.90	--	--	14.90
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,24.76	--	--	1,24.76
	जिला प्रशासन	3,73.62	--	--	3,73.62
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	99.45	--	--	99.45
	पुलिस	27,81.58	71.15	--	28,52.73
	जेल	1,87.08	--	--	1,87.08
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	41.37	--	--	41.37
	लोक निर्माण-कार्य	3,12.19	1,25.68	--	4,37.87
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,90.14	8.06	--	1,98.20
क.4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	49,59.43	--	44.68	50,04.11
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	49,46.79	--	--	49,46.79
	विविध सामान्य सेवाएं	12.64	--	44.68	57.32
	योग-क-सामान्य सेवाएं	1,77,05.14	2,04.89	44.68	1,79,54.71

विवरण संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

¼रं djksM+ esa½

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज एवं पेशगियाँ	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति ^(क)	1,08,96.42	1,47.02	4.00	1,10,47.44
	सामान्य शिक्षा	1,04,56.09	1,47.02	4.00	1,06,07.11
	तकनीकी शिक्षा	2,54.50	--	--	2,54.50
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	85.34	--	--	85.34
	कला एवं संस्कृति	1,00.49	--	--	1,00.49
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	31,28.22	1,76.80	--	33,05.02
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	27,78.30	1,76.80	--	29,55.10
	परिवार कल्याण	3,49.92	--	--	3,49.92
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	27,41.49	8,27.31	1,16.88	36,85.68
	जलपूर्ति तथा सफाई	7,41.82	7,09.30	--	14,51.12
	आवास	3,87.34	44.55	--	4,31.89
	शहरी विकास	16,12.33	73.46	1,16.88	18,02.67
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	1,49.26	--	--	1,49.26
	सूचना तथा प्रचार	1,49.26	--	--	1,49.26
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22,77.93	4,40.60	9.00	27,27.53
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22,77.93	4,40.60	9.00	27,27.53
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	1,89.72	--	--	1,89.72
	श्रम तथा रोजगार	1,89.72	--	--	1,89.72
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण	49,01.76	8.46	--	49,10.22
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	29,63.97	8.46	--	29,72.43
	पोषण	11,85.58	--	--	11,85.58
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	7,52.21	--	--	7,52.21
ख.8	अन्य	90.67	20.80	--	1,11.47
	अन्य सामाजिक सेवाएं	68.97	20.80	--	89.77
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	21.70	--	--	21.70
	योग-ख-सामाजिक सेवाएं	2,43,75.47	16,20.99	1,29.88	2,61,26.34

(क) पूँजीगत लेखा तथा कर्ज और पेशगियाँ के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

विवरण संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

¼ ₹ djksM+
esa½

ग	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगिरियाँ	योग
ग.1	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम	60,21.08	3,45.60	3,10.33	66,77.01
	फसल कृषि-कर्म	12,61.46	2,43.00	--	15,04.46
	मृदा तथा जल संरक्षण	56.71	0.25	--	56.96
	पशुपालन	6,10.46	3.30	--	6,13.76
	डेरी विकास	--	--	--	--
	मछली पालन	52.69	0.40	--	53.09
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	16,01.40	49.99	--	16,51.39
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	18,95.85	--	1,08.97	20,04.82
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,01.28	--	--	1,01.28
	सहकारिता	4,41.23	48.66	2,01.36	6,91.25
	अन्य कृषि कार्यक्रम	--	--	--	--
ग.2	ग्रामीण विकास	37,40.28	14,51.76	--	51,92.04
	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	4,71.18	--	--	4,71.18
	ग्रामीण रोजगार	2,86.26	--	--	2,86.26
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	29,82.84	14,51.76	--	44,34.60
ग.3	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,20.12	42,68.95	--	49,89.07
	वृहद् सिंचाई	1,34.76	23,65.98	--	25,00.74
	मध्यम सिंचाई	4,87.99	8,36.54	--	13,24.53
	लघु सिंचाई	94.90	9,55.57	--	10,50.47
	कमान क्षेत्र विकास	2.47	1,04.64	--	1,07.11
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	--	6.22	--	6.22
ग.4	आर्जा	27,99.61	12,26.49	45,57.27	85,83.37
	बिजली	27,74.69	12,26.49	45,57.27	85,58.45
	अपारंपरिक आर्जा स्रोत	24.92	--	--	24.92
ग.5	उद्योग तथा खनिज	20,60.57	2,13.47	3,36.08	26,10.12
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2,15.32	1,90.81	69.10	4,75.23
	उद्योग	1,41.47	--	--	1,41.47
	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग	17,03.78	3.76	--	17,07.54
	उपभोक्ता उद्योग	--	--	16.98	16.98
	अन्य उद्योग	--	13.90	--	13.90
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	--	5.00	--	5.00
	पेट्रो केमिकल उद्योग	--	--	2,50.00	2,50.00

विवरण संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – समाप्त

¼ ₹ djksM+
esa½

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज एवं पेशगियाँ	योग
ग.6	परिवहन	12,77.81	21,15.75	--	33,93.56
	नागर विमानन	2.32	41.10	--	43.42
	सड़क तथा सेतु	12,75.49	20,74.65	--	33,50.14
ग.7	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	63.33	29.00	--	92.33
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	63.33	29.00	--	92.33
ग.8	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,40.55	89.99	--	2,30.54
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	21.67	--	--	21.67
	पर्यटन	43.05	89.99	--	1,33.04
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	63.34	--	--	63.34
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.49	--	--	12.49
	योग-ग-आर्थिक सेवाएं	1,68,23.35	97,41.01	52,03.68	3,17,68.04
घ	कर्ज, सहायता अनुदान तथा अंशदान				
(i)	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	40,64.57	--	--	40,64.57
	योग-(i)-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	40,64.57	--	--	40,64.57
(ii)	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि				
	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	--	--	0.01	0.01
	योग-(ii)-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	--	--	0.01	0.01
(iii)	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	--	--	29,35.53	29,35.53
	केन्द्र सरकार से कर्ज और पेशगियाँ	--	--	6,48.41	6,48.41
	योग-(iii)-लोक ऋण	--	--	35,83.94	35,83.94
	योग-घ-कर्ज, सहायता अनुदान तथा अंशदान	40,64.57	--	35,83.95	76,48.52
ङ	अन्तर्राज्यीय परिषोधन	--	--	7.02	7.02
च	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	--
	योग-समेकित निधि व्यय	6,29,68.53	1,15,66.89	89,69.21	8,35,04.63

विवरण संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यय का उद्देश्य	2012-13			2011-12		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
1	सहायक अनुदान	1,82,55.11 ^(क)	81.30	1,83,36.41	1,60,43.18	1,00.83	1,61,44.01
2	वेतन	1,49,94.85	2,07.45 ^(ग)	1,52,02.30 ^(ग)	1,31,34.63	2,05.76	1,33,40.39
3	वृहद् निर्माण कार्य	73.72	75,64.68	76,38.40	59.90	56,20.93	56,80.83
4	ब्याज/लाभांश का भुगतान	56,13.29	--	56,13.29	53,28.71	--	53,28.71
5	पेंशन तथा पेंशन योग्य हित लाभ	48,47.29	--	48,47.29	43,17.50	0.11	43,17.61
6	राजसहायता	56,97.41	--	56,97.41	33,10.15 ^(घ)	--	33,10.15
7	सामग्री एवं आपूर्ति	28,53.13	35.07	28,88.20	25,47.93	18.80	25,66.73
8	अंतर लेखा अंतरण	23,24.17	--	23,24.17	15,34.11	--	15,34.11
9	लघु निर्माण कार्य	1,54.49	13,30.26	14,84.75	1,40.65	12,83.03	14,23.68
10	अन्य प्रभार	7,51.68	3,33.66	10,85.34	6,26.74	4,40.51	10,67.25
11	अनुरक्षण	14,67.52	7.06	14,74.58	10,00.10	7.67	10,07.77
12	निवेश	--	16,61.94	16,61.94	--	9,97.74	9,97.74
13	षिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	11,24.26	--	11,24.26	8,68.14	--	8,68.14
14	पेपेवर सेवाओं के लिये भुगतान	9,21.46	15.37	9,36.83	8,12.87	14.92	8,27.79
15	मजदूरी	7,76.74	46.64	8,23.38	7,30.96	41.79	7,72.75
16	कार्यालयीन व्यय	6,16.78	5.92	6,22.70	5,26.75	8.32	5,35.07
17	वेतन एवं लेखाधिकारी, निर्माण कार्य तथा गृह निर्माण कार्य मंत्रालय	3,77.39	--	3,77.39	3,02.29	--	3,02.29
18	मषीनरी	1,64.26	26.19	1,90.45	1,51.78	25.18	1,76.96
19	भूमि तथा भवन का क्रय	13.67	2,42.91	2,56.58	3.61	1,42.74	1,46.35
20	अंशदान	1,33.97	48.59	1,82.56	1,10.38	31.30	1,41.68
21	मोचन निधि	1,22.42	--	1,22.42	1,41.27	--	1,41.27
22	विज्ञापन तथा प्रचार	1,62.89	--	1,62.89	1,21.76	--	1,21.76
23	यात्रा भत्ता	1,14.51	10.15	1,24.66	1,05.04	4.63	1,09.67
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	1,02.57	7.75	1,10.32	75.95	8.84	84.79
25	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	82.72	--	82.72	79.34	--	79.34
26	उप संचालक (लेखा), डाक एवं तार, भोपाल	72.78	1.27	74.05	65.01	1.10	66.11
27	वाहनों का क्रय	25.53	0.30	25.83	32.43	28.22	60.65
28	क्षतिपूर्ति	1,27.79	0.70	1,28.49	42.59	0.21	42.80
29	सर्वेक्षण, जाँच तथा डिजाइन करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	0.45	86.61	87.06	0.33	29.66	29.99

(क) उद्देश्य शीर्ष 42-सहायक अनुदान एवं मुख्य शीर्ष 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन का योग शामिल है, परन्तु लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अन्तर्गत भुगतान किए गए सहायक अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ख) उप विस्तृत शीर्ष 45 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ग) यह राशि परिशिष्ट-II के अनुरूप नहीं है क्योंकि वेतन राशि ₹ 42.95 लाख (मुख्यशीर्ष-6075) इस राशि में शामिल नहीं है।

(घ) आंकड़े विवरण संख्या 2 में दर्शित राज सहायता के आंकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि विवरण संख्या 2 में दर्शित राज सहायता को परिशिष्ट-III से लिया गया है, जिसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा की गई है।

विवरण संख्या 4 –समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यय का उद्देश्य	2012-13			2011-12		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
30	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	28.03	--	28.03	22.32	--	22.32
31	उचंत	10.53	--	10.53	6.81	0.01	6.82
32	पुरस्कार, पारितोषिक, इनाम	20.24	--	20.24	5.67	--	5.67
33	वसूलियाँ	(-) 1,63.56	(-) 2,91.72	(-) 4,55.28	(-) 3,32.93	(-) 37.74	(-) 3,70.67
34	अन्य	11,00.44	1,44.79	12,45.23	7,77.74	80.60	8,58.34
	योग	6,29,68.53	1,15,66.89	7,45,35.42	5,26,93.71	90,55.16	6,17,48.87

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. विषिष्ट लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) अस्तित्व एवं लेखांकन अवधि :- ये लेखे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्ति और व्यय के लेखों को प्रारंभिक लेखा रखने वाले जिला कोषालयों, लोक निर्माण एवं वन संभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया जाता है। वर्ष के अंत में किसी भी मासिक लेखा को छोड़ा नहीं गया था तथा वर्ष के दौरान लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब नगण्य था।

(ii) लेखांकन का आधार :- कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद सहित (अनुलग्नक-क), लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं उदाहरण के लिये संपत्ति के अर्जन/क्रय के वर्ष में मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में प्रक्षेपित किया गया है परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात् इसके कर्मचारियों की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के निवृत्ति लाभो को लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :- मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये में संधारित किए जाते हैं।

(iv) लेखाओं के प्रपत्र :- संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों पर संघ एवं राज्य सरकार के लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अन्तर्गत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) राजस्व एवं पूंजी :- राजस्व व्यय आवधिक प्रकृति का है और राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि करने तथा स्थायी देयताओं को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। सहायक अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तिकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(vi) बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सूचना/विवरणों को शामिल किया जाना :- शासकीय लेखों में वृहद पारदर्शिता लाने तथा निर्णय कार्य सम्मत बनाने के लिये बारहवें वित्त आयोग ने वित्त लेखे में आठ अतिरिक्त विवरणों/सूचनाओं को शामिल किये जाने हेतु अनुशंसित किया है। भविष्य की प्रतिबद्ध देयताओं के विवरण जिसकी जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, को छोड़कर सभी अतिरिक्त सूचनाओं को वित्त लेखे 2012-13 में शामिल किया गया है।

2. लेखाओं की गुणवत्ता :-

(i) राजस्व और पूंजीगत व्यय का गलत चित्रण :- वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य से संबंधित राशि ₹ 73.72 करोड़ का गलत बजट प्रावधान कर व्यय किया गया है (अनुलग्नक-ख)। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

इसी प्रकार सहायता अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान किया गया तथा ₹ 81.30 करोड़ पूंजी अनुभाग में वर्गीकृत किये गये हैं (अनुलग्नक-ग)। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2012-13 के लिये राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक अधिक बताया गया है।

लेखों पर टिप्पणियाँ –जारी

जून 2012 में बजट समीक्षा के दौरान उपरोक्त गलत बजट प्रावधान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया लेकिन बिना सुधार के रहा।

(ii) लघुशीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय के अंतर्गत प्रविष्टि :- लेखा के राजस्व प्राप्ति शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत, संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 7,04,27.28 करोड़) की लगभग 21 प्रतिशत राशि ₹ 1,49,44.51 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800 – अन्य व्यय के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज कुल व्यय राशि (₹ 7,45,35.43 करोड़) की 14 प्रतिशत राशि ₹ 1,04,62.42 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ या अन्य व्यय का उस समय परिचालन किया जाता है जबकि लेखाओ में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो। लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरुत्साहित किया जाना चाहिये। क्योंकि यह लेखा को अपारदर्शी बनाता है। प्राप्ति एवं व्यय के अधिक भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को 800 अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण (अनुलग्नक-घ और ङ) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(iii) प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान :- मध्यप्रदेश बजट संहिता की कण्डिका 24.9.3 के अनुसार सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए। वर्ष के दौरान 104 नियंत्रण अधिकारियों में से 81 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 5,23,39.05 करोड़ (कुल व्यय ₹ 7,99,20.00 करोड़ का 65 प्रतिशत) का मिलान किया गया। इसी प्रकार 104 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 81 द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹ 43,98.53 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 7,05,00.00 करोड़ का 6 प्रतिशत) का मिलान किया गया। प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की पूर्णता और शुद्धता को प्रभावित करता है।

(iv) रोकड़ शेष का पुनर्मिलान :- 31 मार्च 2013 की स्थिति में महालेखाकार द्वारा निकाले गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 17.43 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था जो आगामी पुनर्मिलान के बाद (मई 2013) ₹ 18.36 करोड़ (नामे) हो गया। यह अंतर मुख्यतया: एजेन्सी बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेनदेनों की गलत जानकारी देने के कारण है तथा आगे पुनर्मिलान के अधीन है।

(v) असमायोजित सार आकस्मिक देयक (ए.सी.बिल) :- आहरण एवं संवितरण अधिकारी सार आकस्मिक देयक तैयार कर सेवा शीर्ष को विकलित कर धनराशि आहरित करने हेतु अधिकृत है तथा उनसे आगामी माह की 25 तारीख तक विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी.बिल) तैयार कर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने दिनांक 2 सितम्बर 1999 द्वारा आदेश जारी कर, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित राष्ट्रीय केडेट कॉर्प्स (एन.सी.सी.) को छोड़कर, सभी विभागों द्वारा सार आकस्मिक देयकों से राशियों के आहरण को प्रतिबंधित कर दिया है। 31 मार्च 2013 की स्थिति में 673 विस्तृत आकस्मिक देयक राशि ₹ 15.24 करोड़ के लंबित थे। विस्तृत आकस्मिक देयकों का दीर्घकाल तक प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित सार आकस्मिक देयक		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त विस्तृत आकस्मिक देयक		वर्ष के अंत में बकाया विस्तृत आकस्मिक देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	1343	21.11	203	1.53	1546	22.64	207	1.21	1339	21.43
2011-12	1339	21.43	8	0.05	1347	21.48	477	1.98	870	19.50
2012-13	870	19.50	300	1.66	1170	21.16	497	5.92	673	15.24

लेखों पर टिप्पणियाँ –जारी

(vi) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र :- सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार प्रेषित किये जाने चाहिए। निर्धारित समयावधि के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया रहना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग की बचनबद्धता के अभाव को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति नीचे दी गई है :-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		चालू वर्ष के दौरान देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		वर्ष के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	35761	17733.88	6933	8773.78	42694	26507.66	6544	8379.87	36150	18127.79
2011-12	36150	18127.79	4551	15020.76	40701	33148.55	296	1730.83	40405	31417.72
2012-13	40405	31417.72	687	3708.83	41092	35126.55	2469	6885.64	38623	28240.91*

(*वर्ष 2012-13 के दौरान दिये गये सहायता अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्ष 2013-14 में दिनांक 30 सितम्बर को या इसके पूर्व देय होंगे, सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिये गये हो)

(vii) निधियों का व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों एवं अन्य जमा खातों में अंतरण :- मध्यप्रदेश खजाना संहिता के नियम 543 के अनुसार समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को स्थानांतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2012 को व्यक्तिगत जमा खाते		वर्ष के दौरान खोले गये व्यक्तिगत जमा खाते		वर्ष के दौरान बंद किए गए व्यक्तिगत जमा खाते		31 मार्च 2013 को व्यक्तिगत जमा खाते	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
886	20,07.30	27	80.96	09	25.24	904*	20,63.02

*236 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹ 42.30 करोड़ एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे।

3. अन्य मद्दे:-

(i) निवृत्ति लाभों का दायित्व :- दिनांक 31 दिसम्बर 2004 को या पहले नियुक्त किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों पर वर्ष के दौरान राशि ₹ 48,24.07 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 7.66 प्रतिशत) पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभ के रूप में व्यय किये गये। दिनांक 01.01.2005 को या बाद में नियुक्त किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नाम दिया गया के अंतर्गत रखा गया है। योजना के अनुसार कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान तथा इतना ही राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर संपूर्ण राशि को एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदासीन निधि प्रबंधन को अंतरित किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अदा की जाने वाली वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले अंशदान का आंकलन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार नई पेंशन योजना में प्राप्ति मुख्य शीर्ष "0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली" के अन्तर्गत कर्मचारियों के अंशदान के बजट प्रावधान तथा वर्गीकरण की विधि अपनाती है। तत्पश्चात् ये अंशदान उक्त मुख्यशीर्ष 0071-के अंतर्गत लघुशीर्ष "900-घटाईये वापसियां" संचालित कर स्थानांतरित

लेखों पर टिप्पणियाँ –जारी

किये जाते हैं। चूंकि वर्ष के अंत में समेकित निधि सरकार के लिए बंद की जाती है तथा अवशेषों को अग्रेषित नहीं किया जाता है अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्षों के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है। वर्ष 2012-13 के दौरान कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 1,13.86 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने राशि ₹ 1,22.72 करोड़ अंशदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुसरित उपरिलिखित लेखाकरण कार्य प्रणाली के कारण यह पूर्वाकलन करना संभव नहीं है कि वर्ष 2012-13 में नियोक्ता अंशदान में आधिक्य, पूर्व वर्षों में नियोक्ता अंशदान में कमी के विरुद्ध अथवा पूर्व वर्षों में कर्मचारियों के अंशदान में कमी के कारण है।

निधि में प्राप्त कुल अंशदान ₹ 2,36.58 करोड़ में से राज्य सरकार ने मात्र ₹ 2,28.78 करोड़ एन.एस.डी.एल./ न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किये। परिणामतः राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य राशि ₹ 7.80 करोड़ से अत्युक्त हुआ। उपार्जित ब्याज के साथ असंग्रहित असमानित तथा अस्थानान्तरित राशियाँ योजना के अंतर्गत बकाया दायित्वों को दर्शाती हैं।

(ii) पुस्तकीय समायोजन :- “अनुलग्नक-क” में दर्शाए गए कुछ लेन-देन वित्त लेखे के विभिन्न विवरण पत्रकों में पादटीप के रूप में परिलक्षित हैं। ये पुस्तकीय समायोजन प्रकृति के हैं तथा वास्तविक रोकड लेन देनों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

(iii) राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ :- विवरण पत्रक 9 में वर्णित प्रत्याभूतियाँ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं जो कि विभिन्न राज्य शासन के स्वत्वधारी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि को जारी प्रत्याभूतियों के लिए प्राधिकार हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतियाँ (मूल + ब्याज) राशि ₹ 1,47,51.71 करोड़ थी। वर्ष के दौरान कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 77,19.54 करोड़ थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित पूर्व वर्ष (2011-12) की राजस्व प्राप्ति ₹ 6,26,04.07 करोड़ की 80 प्रतिशत की सीमा में है। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति प्रदत्त नहीं की गई। वर्ष के दौरान ₹ 4.81 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूले गये तथा शासकीय लेखे में जमा किये गये।

(iv) कर्जे तथा निवेश :- विवरण संख्या 14 एवं 16 में क्रमशः निवेश एवं कर्जे का विवरण होता है। कुछ स्वत्वधारी कर्जधारक एवं निवेश धारक दीर्घ अवधि तक प्रचालन में नहीं है तथा लेखा कर्जे एवं निवेश को वसूली के बिना आकलन के ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शाता है।

(v) आरक्षित निधियाँ:-

- (क) समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.):**- बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि, राज्यों को कर्जों के परिशोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार राज्यों को उनके पिछले वर्ष के अंत में बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा के दायित्व) का 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में अंशदान करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 9,01,68.34 करोड़ थे। तथापि राज्य सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि गठित नहीं की गई है।
- (ख) गारंटी विमोचन निधि (गा.वि.नि.):**- राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2006 में गारंटी विमोचन निधि स्थापित की। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान किया गया। 31 मार्च 2013 को ₹ 77,19.54 करोड़ की बकाया गारंटियों के विरुद्ध निधि में ₹ 3,88.87 करोड़ शेष थे। निधि का सम्पूर्ण शेष ₹ 3,88.87 करोड़ केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया।
- (ग) राज्य आपदा मोचन निधि:-** तेहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि का प्रचालन वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया गया। मागदर्शन के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में निधि ₹ 4,33.01 करोड़ (₹ 3,24.76 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 1,08.25 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए। मागदर्शन के विपरीत 31 मार्च 2013 को निधि में शेष ₹ 3,03.25 करोड़ को निवेशित नहीं किया गया। यह राज्य सरकार के लिए राज्यकोषीय घाटा को कम करने में लाभकारी हुआ।

लेखों पर टिप्पणियाँ –जारी

(vi) निवल आधार पर उचंत शेष प्राप्त करना:— वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिविंबित करता है। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक-पृथक जोडकर निकाले गए है। मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

मुख्य/लघु शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658— उचंत लेखा						
101— वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	(-) 3.94	28.97	(-) 3.30	45.14	(-) 1.92	71.17
निवल	नामे 32.91		नामे 48.44		नामे 73.09	
107— नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	(-) 28.05	78.56	(-) 27.57	1,14.95	(-) 26.58	1,15.05
निवल	नामे 1,06.61		नामे 1,42.52		नामे 1,41.63	
110— रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 5.99	82.59	(-) 3.51	75.20	(-) 6.01	1,21.37
निवल	नामे 88.58		नामे 78.71		नामे 1,27.38	
112— स्रोत पर कर कटौती ¼TDS½ उचंत	1,38.51	--	1,67.93	--	1,99.11	--
निवल	जमा 1,38.51		जमा 1,67.93		जमा 1,99.11	
113— भविष्य निधि उचंत	(-) 0.38	21.93	(-) 0.82	21.26	(-) 0.82	17.34
निवल	नामे 22.31		नामे 22.08		नामे 18.16	
129— सामग्री कय परिनिर्धारण उचंत लेखे	2,55.19	35.73	2,55.20	35.73	2,55.20	35.77
निवल	जमा 2,19.46		जमा 2,19.47		जमा 2,19.43	
8670—चैक्स एवं बिल्स						
103— विभागीय चैक्स	14,69.18	14,64.51	23,26.09	23,27.39	35,07.68	35,07.51
निवल	जमा 4.67		नामे 1.30		जमा 0.17	
104— कोषालय चैक्स	9,92,06.91	9,91,12.68	14,89,28.50	14,88,51.66	20,75,32.97	20,75,05.90
निवल	जमा 94.23		जमा 76.84		जमा 27.07	
8782— नकद प्रेषण						
102— लोक निर्माण प्रेषण	3,51,28.68	3,46,46.52	4,44,84.40	4,34,61.64	5,59,81.81	5,45,46.61
निवल	जमा 4,82.16		जमा 10,22.76		जमा 14,35.20	
103— वन प्रेषण	66,47.18	66,19.68	84,77.97	84,29.26	1,06,46.95	1,05,76.82
निवल	जमा 27.50		जमा 48.71		जमा 70.13	
110— विविध प्रेषण	28,93.16	30,34.33	38,68.48	40,64.53	52,80.16	55,40.66
निवल	नामे 1,41.17		नामे 1,96.05		नामे 2,60.50	

इन शीर्षों के अन्तर्गत लंबित शेषों का निपटान नहीं होना, संबंधित सरकारों की प्राप्ति/व्यय तथा विभिन्न शीर्षों (जो शेषों के लिए संवृत किये जाते हैं) के शेषों को प्रभावित करते हैं।

लेखों पर टिप्पणियाँ – जारी

(vii) सरकारी लेखों से पृथक रखी जाने वाली राशियाँ – राज्य सरकार, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (राज्यांश) तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों और अभिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को निधियां प्रदान करती है। चूंकि क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में निधियों को पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया जाता है अतः इन क्रियान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में अव्ययित शेष रह जाता है। क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों की अव्ययित कुल राशि जो कि सरकारी लेखों से पृथक (बैंक खातों में) रखी जाती है, सहज अभिनिश्चित नहीं होती है इसलिये उस सीमा तक लेखों में दर्शाया गया सरकारी व्यय अंतिम नहीं होता है।

(viii) विभिन्न वृहद् आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश और अनुरूप राज्यांश को विमुक्त करना:—

प्रमुख आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के मध्य ₹ 77,16.59 करोड़ की गिरावट थी। परिणामतः ₹ 77,16.59 करोड़ से राजस्व आधिक्य दर्शाया गया। विस्तृत ब्यौरा विवरण संख्या 12 के परिशिष्ट में दिया गया है।

(ix) प्रतिकूल शेष :- मुख्य शीर्ष 8443-109-वन जमा के अंतर्गत ऋणात्मक शेष ₹ 37.49 करोड़ पूर्व के वर्षों में गलत वर्गीकरण के कारण परिलक्षित हो रहा है।

(x) आकस्मिकता निधि:— मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 2,00.00 करोड़ का संग्रह है। वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई राशि आकस्मिकता निधि को प्रतिपूर्ति के लिये शेष नहीं है।

(xi) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटीकरण (म.प्र.रा. उ.ब.प्र.):— मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करें अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (ग) राजकोषीय नीति युक्त विवरण। बजट वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा सभी विवरणों का प्रकटीकरण किया गया।

वर्ष 2012 में, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य और वर्ष 2012-13 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है नीचे दर्शाया गया है।

क्षेत्र	लक्ष्य	निष्पादन
राजस्व घाटा	शून्य	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2012-13 में राजस्व आधिक्य ₹ 74,58.75 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस. डी.पी.) का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा ₹ 94,20.29 करोड़ रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.60 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस. डी.पी.) का 36.8 प्रतिशत	31 मार्च 2013 को बकाया ऋण ₹ 9,01,68.34 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.92 प्रतिशत है।

* आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वर्ष 2012-13 के लिये अग्रिम अनुमान ₹ 36,18,73.91 करोड़ दिया है।

लेखों पर टिप्पणियाँ –जारी

अनुलग्नक-क

आवधिक समायोजन

¼₹ djksM+ esa½

स.क्र.	आवधिक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	अन्तर्गत		
1	म.प्र.ग्रामीण विकास निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	85.30	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर को निधि में अंतरित किया गया।
2	पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	1,51.76	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर तथा स्टाम्प शुल्क को निधि में अंतरित किया गया।
3	शासकीय मुद्रणालयों के मूल्य ह्रास की राशि का मूल्य ह्रास निधि को अंतरण	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8226-मूल्य ह्रास / नवीनीकरण आरक्षित निधि	0.23	राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित की गई।
4	राज्य आपदा विमोचन निधि का आवर्धन	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	4,33.01	भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
5	अकाल राहत निधि का आवर्धन	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8223-अकाल राहत निधि	0.10	राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर अंतरण किया गया।
6	विद्युत विकास निधि का आवर्धन	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8229-विकास एवं कल्याण निधि	2,75.00	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत ऊर्जा विकास उपकर को निधि में अंतरित किया गया।
7	सा.भ.नि. पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियां	8009-राज्य भविष्य निधि	7,77.59	सा.भ.नि. पर ब्याज का वार्षिक समायोजन।
8	प्रत्याभूति विमोचन निधि का आवर्धन	2075-विविध सामान्य सेवाएं	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	1.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार स्थानान्तरित
9	खदान कल्याण निधि का आवर्धन	2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	8229-विकास एवं कल्याण निधि	13,78.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार स्थानान्तरित
10	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,29.76	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार स्थानान्तरित
11	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	8229-विकास एवं कल्याण निधि	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,91.72	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार स्थानान्तरित
12	वन विकास निधि का आवर्धन	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	8229-विकास एवं कल्याण निधि	1,16.68	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार स्थानान्तरित

लेखों पर टिप्पणियां—जारी

अनुलग्नक—क—समाप्त

अन्य समायोजन

¼₹ djksM+ esa½

स. क्र.	अन्य समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	अन्तर्गत		
1	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण	2217—शहरी विकास	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	1,12.16	समायोजन मुख्यतः गरीबों के लिए नगरीय सेवा कार्यक्रम, आठ शासकीय उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं सघन जांच चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित हैं।
2	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से कम)	—	8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा	3.83	—
			योग	1,15.99	
3	अन्य जमा को अंतरण	2203—तकनीकी शिक्षा	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	14.70	समायोजन मुख्यतः भारत सरकार के सहयोग से स्थापित बहु तकनीकी महाविद्यालयों हेतु फर्नीचर, कार्यालय, उपस्कर, पुस्तकें और वाहन आदि क्रय करने से संबंधित है।
4	अन्य जमा को अंतरण	2205—कला और संस्कृति	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	10.00	समायोजन मुख्यतः भारत भवन कला ग्राम की स्थापना एवं संग्रहालय के विकास से संबंधित है।
5	अन्य जमा को अंतरण	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	12.53	समायोजन मुख्यतः सामाजिक सेवाओं से संबद्ध संस्थाओं को सहायता से संबंधित है।
6	अन्य जमा को अंतरण	2401—फसल कृषि कर्म	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	47.48	समायोजन मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि विज्ञान विकास कार्यक्रम से संबंधित है।
7	अन्य जमा को अंतरण	4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	2,43.00	समायोजन मुख्यतः किसान कल्याण एवं बुंदेलखंड पैकेज के अन्तर्गत कृषि विकास कार्यक्रम से संबंधित है।
8	अन्य जमा को अंतरण	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	51.12	समायोजन मुख्यतः लघु सिंचाई एवं नहर की क्षमता की पुनः प्राप्ति से संबंधित है।
9	अन्य जमा को अंतरण (दस करोड़ से कम)	—	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा	10.15	—
			योग	3,88.98	

लेखों पर टिप्पणियां—जारी

अनुलग्नक – ख

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत "वृहद् निर्माणकार्य" के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1.	18	2230 – श्रम एवं रोजगार	0.02	0.02
2.	38	2210 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	9.50	8.17
3.	39	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.33	0.33
4.	41	2215 – जल पूर्ति एवं सफाई	81.97	63.62
5.	48	2402 – मृदा एवं जल संरक्षण	4.26	1.58
		योग	96.08	73.72

लेखों पर टिप्पणियां—जारी

अनुलग्नक – ग

पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत "सहायक अनुदान" के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

				(₹ करोड़ में)	
स.क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	
1.	11	4875 – अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1.00	1.00	
2.	14	4403 – पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.40	0.41	
3.	26	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1.90	1.90	
4.	27	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	0.55	0.55	
5.	30	4515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	73.00	73.00	
6.	44	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1.00	0.99	
7.	57	4700 – वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	सांकेतिक	0.95	
8.	69	5425 – अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरिणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	2.50	2.50	
		योग	80.35	81.30	

लेखों पर टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—घ

लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत राशियाँ

¼ ₹ djksM+ esa½

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशत
0852	उद्योग	24.08	24.37	101.20
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	24,43.39	24,46.13	100.11
0801	बिजली	3,70.69	3,70.69	100.00
0702	लघु सिंचाई	3,79.62	3,79.62	100.00
0220	सूचना एवं प्रचार	0.21	0.21	100.00
0211	परिवार कल्याण	0.23	0.23	100.00
0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	18.94	18.94	100.00
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9.78	9.75	99.69
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	45.77	44.07	96.29
0217	शहरी विकास	41.61	39.39	94.66
0700	मुख्य सिंचाई	57.22	50.79	88.76
0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	16,82.50	14,88.22	88.45
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.60	2.21	85.00
0059	लोक निर्माण—कार्य	33.22	28.17	84.80
0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44.83	30.72	68.52
1601	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	1,20,40.20	71,99.90	59.80
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	11.09	5.95	53.65
0403	पशुपालन	2.46	1.27	51.63
	योग	1,72,08.44	1,21,40.63	

लेखों पर टिप्पणियां—समाप्त

अनुलग्नक—ड

लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत राशियां

¼रं djksM+ esa½

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं	68.97	68.97	100.00
4875 अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.90	13.90	100.00
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.05	8.05	100.00
4853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.76	3.76	100.00
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.22	6.17	99.20
2702 लघु सिंचाई	94.90	87.63	92.33
2075 विविध सामान्य सेवायें	12.64	11.54	91.30
2852 उद्योग	1,41.47	1,29.11	91.26
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	14,51.76	13,03.34	89.78
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	23,65.98	21,11.99	89.26
2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	17,03.78	13,78.00	80.88
2204 खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	85.34	53.02	62.13
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,36.54	5,05.69	60.45
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20,74.65	11,37.07	54.81
2705 कमान क्षेत्र विकास	2.47	1.26	51.01
योग	88,70.43	68,19.50	

परिशिष्ट-I

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

परिशिष्ट-I

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

		¼₹ djksM+ esa½	
सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति		31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
क- सामान्य रोकड़ शेष -			
(i) खजानों में रोकड़			--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा ^(क)	मुख्य शीर्ष 8999	(-) 2,62.75 ^{(ख),(ग)}	6,92.55 ^{(ख),(ग)}
(iii) अन्य बैंकों में जमा		--	--
(iv) स्थानीय प्रेषण		--	2.61
	योग	(-) 2,62.75	6,95.16
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	मुख्य शीर्ष 8673	68,06.45	66,80.13
	योग-क-सामान्य रोकड़ शेष	65,43.70	73,75.29
ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश -			
(vi) विभागीय रोकड़ शेष		1,32.24	2.48
(vii) स्थाई अग्रिम		0.81	0.81
(viii) चिद्वित निधियों से निवेश		3,98.06	3,97.30
	योग-ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश	5,31.11	4,00.59
	योग - क + ख	70,74.81	77,75.88

(क) 16 अप्रैल, 2013 तक आर.बी.आई. को सूचित वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष को, अंत-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को शामिल कर लाया गया है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 27.09 लाख के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्य प्रदेश ¼₹ 5.13 लाख½ तथा छत्तीसगढ़ ¼₹ 21.96 लाख½ को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात ¼485.7 : 176.2½ में परिषोधित किया जाना है।

¼₹½ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2,62.75 करोड़ ¼tek½ vkSj Hkkjrh; fjtoZ cSad }kjk lwfpr ₹ 2]80-18 djksM+ ¼ukes½ ds e/; vkadM+ksa esa ekpZ] 2013 ds ys[ks can gksus ij ₹ 17-43 djksM+ ¼ukes½ dk varj FkkA ebZ 2013 ds ys[kkvksa ds can gksus ds mijkar ₹ 18-36 djksM+ ¼ukes½ dk 'kq) varj lek/kku ds fy;s 'ks"K FkkA fjtoZ cSad esa tek esa vUrj ,tsUlH cSad }kjk Hkkjrh; fjtoZ cSad rFkk dks"kkky; vf/kdkjh dks ysu&nsuksa dh] ys[kksa esa] xyr fjkjksfVZax ds dkj.k gSA

परिशिष्ट-I – जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणी

¼d½ **jkSDM+ rFkk jksDM+ lergY;** % jksDM+ rFkk jksDM+ lergY; ds vUrxZr [ktkuksa esa jksDM+ rFkk Hkkjrh; fjtZ cSad rFkk vU; cSadksa esa tek rFkk ekxZLFk izes"K.k] tSlk fd Åij o.kZu fd;k x;k gS] lEefyr gSA Hkkjrh; fjtZ cSad esa tek 'kh"KZ ds vUrxZr 'ks"K] o"KZ ds var esa lesfdr fuf/k] vkdfLedrk fuf/k rFkk yksd ys[kk ds la;qDr 'ks"K dks n'kkZrs gSaA jksDM+ dh lezx fLFkr ij igqapus ds fy;s [ktkuksa] foHkkxksa esa jksDM+ 'ks"K rFkk jksDM+ 'ks"K@vkjfk{kr fuf/k;ksa bR;kfn ls fuos'k dks fjtZ cSad esa tek ds 'ks"Kksa esa tksM+k tkrk gSA

¼k½ **दैनिक रोकड़ शेष** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष¹ बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन ¼भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित½ के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया कुल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान अर्थोपाय एवं अग्रिम पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं –

अनु.क्र.	नामकरण	दर
1.	अर्थोपाय अग्रिम ¼साधारण½ ¼d½ 90 fnu rd ¼ख½ 90 दिन से अधिक	रेपो दर रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम ¼विशेष½	रेपो दर - 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण ¼क½ अर्थोपाय अग्रिम ¼साधारण½ के 100 प्रतिशत तक ¼ख½ अर्थोपाय अग्रिम ¼साधारण½ के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर + 2 रेपो दर

वर्ष 2012-13 के दौरान रेपोरेट 8.50 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत हुई।

-
- 1 उपरोक्त नकदी शेष ¼भारतीय रिजर्व बैंक में जमा½ o"KZ ds 31 ekpZ dh fLFkfr esa laofjr udnh 'ks"k gS ijUrq 16 vizSy dks fudkyk x;k gS rFkk 31 ekpZ dk lk/kkj.k nSfud 'ks"k ugha gSA

परिशिष्ट-I – समाप्त

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2012-13 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना पेशगी लिए बनाये रखी गई	365
(ii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि साधारण अर्थोपाय पेशगी लेकर बनाए रखी गई	..
(iii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि विशेष अर्थोपाय पेशगी लेकर बनाए रखी गई	..
(iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त पेशगियों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया	..
(v) दिनों की संख्या जब ओवर ड्राफ्ट लिए गए	..

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई अर्थोपाय पेशगियों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का ब्यौरेवार लेखा नीचे दिया गया है :-

विवरण	¼ ₹ djksM+ esa½				
	1 अप्रैल 2012 को शेष	2012-13 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2012-13 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2013 को शेष	2012-13 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय पेशगियाँ	--	--	--	--	--
विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ	--	--	--	--	--
ओवर ड्राफ्ट	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	--

31 मार्च 2013 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :-

प्रतिभूति का प्रकार		¼ ₹ करोड़ में½
		राशि
¼ 1½	भारत सरकार के खजाना बिल	68,06.20
¼ 2½	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.25
योग		68,06.45

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 2,48,27.49 लाख ¼अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 2,48,25.68 लाख एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 1.81 लाख½ का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2011-12 के दौरान ₹ 3,55,29.87 लाख ¼अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 3,54,94.50 लाख एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 35.37 लाख½ था।

सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों/ऋण पत्रों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-14 में दिए गए हैं।

उर्षिष्ठ रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या-19 में दर्शाई गई हैं।